

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2008/चैत्र 18, 1930

No. 136]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2008/CHAITRA 18, 1930

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

संकल्प

RESOLUTION

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2008

New Delhi the 1st April, 2008

फा. सं. 2-16/2004-यू एस (अकादमी).—भारत सरकार ने दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के अपने संकल्प संख्या 2-16/2004-यू.एस. (अकादमी) द्वारा 6 भाषाई विशेषज्ञों (जिसमें साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं) की एक समिति, श्रेण्य भाषाओं के रूप में भाषाओं के श्रेणीकरण की भावी मांगों पर विचार करने के लिए गठित की थी तथा इसके पश्चात् दिनांक 21-12-2004 के समसंख्यक संकल्प द्वारा समिति में दो और भाषाई विशेषज्ञों को नामित किया था। सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि प्रो. गोपी चंद नारंग, डी-252, सर्वोदय एन्क्लेव, महरौली रोड, नई दिल्ली-110017, एक भाषाई विशेषज्ञ और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पदेन क्षमता में उक्त समिति से सम्बद्ध रहे हैं, अब अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इससे जुड़े रहेंगे और समिति के सदस्य होंगे।

F. No. 2-16/2004-US (Akademies).—Whereas the Government of India vide their Resolution No. 2-16/2004-US (Akademies) dated 1st November, 2004 had set up a Committee consisting of 6 Linguistic Experts (including President, Sahitya Akademi as an ex-officio member) to consider the future demands for categorization of languages as classical languages and had subsequently nominated two more Linguistic Experts to the Committee vide Resolution of even number dated 21-12-2004. The Government has now decided that Prof. Gopi Chand Narang, D-252, Sarvodaya Enclave, Mehrauli Road, New Delhi-110017, a linguistic expert and former President of Sahitya Akademi, who has been associated with the said Committee in his ex-officio capacity as the President of Sahitya Akademi, will now continue in his individual capacity and be a Member of the Committee.

नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

The terms and conditions remain the same.

निहाल चंद गोयल, संयुक्त सचिव

NIHAL CHAND GOEL, Jt. Secy.